न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 7/2023 (2023/162)

1. बद्रीलाल पुत्र छोगाराम रेगर निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक
2. रामनिवास पुत्र भैरूलाल कोली निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर
2. बैनाथ पुत्र छोगा बैरवा निवासी सांकरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. देवकिशन पुत्र हरनाथ जाति बैरवा निवासी सांकरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. लालाराम पुत्र हरनाथ जाति बैरवा निवासी सांकरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
5. माया देवी पत्नि रामेश्वर जाति बलाई निवासी सांकरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
6. छीतरमल पुत्र गोपाल जाति रेगर निवासी सांकरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
7. रामस्वरूप पुत्र रामदेव जाति रेगर निवासी सांकरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. अभिधृति अधिनियम

—:निर्णय:—

दिनांकः— 08.06.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान एवं महंगाई राहत शिविर केम्प गुलगांव में पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. अभिधृति अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम/कस्बा सांकरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
338—15	2375/3175 2394	0.35 0.62	बारानी 3 बारानी 3
	किता 2	रकबा 0.97 हैक्टर	
541—523	2374	0.97	बारानी 3
	किता 1	रकबा 0.97 हैक्टर	

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनुसार प्रार्थनापत्र में संलग्न नजरी नक्शा जो प्रार्थनापत्र का अभिन्न अंग है में प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की खसरा नम्बर 2375/3175, खसरा नम्बर 2394 व प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की खसरा नम्बर 2374 में आने जाने, हाकने, जोतने हेतु रास्ता संलग्न नक्शे में A,B,C,D,E,F से दर्शित है जो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की आराजी प्रार्थनापत्र में वर्णित है में खवास से सांकरिया रोड से खसरा नम्बर 2381, 2382 के अन्दर तक सडक पक्की मार्ग ए से बी बनी हुई है, से खसरा नम्बर 2383 से होता हुआ खसरा नम्बर 2375/3176 व 2383 में से होता हुआ आगे 2394 तक 2393 के मध्य

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

होकर जाता है। खसरा नम्बर 2374 से 2375/3176 व खसरा नम्बर 2375/3175 के मध्य से होकर रास्ता जाता है जो नक्शे में दर्शित किया है तथा करीब 30 फुट चौडा है। अतः उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में दर्शित करते हुए रास्ता कायम किया जावे व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे एवं रास्ते बाबत जो भी प्रिमीयम राशि व खर्चा होगा वह प्रार्थीगण वहन करने के लिए तैया है। अतः प्रार्थीगण की आराजी तक पंहूचने हेतु उपरोक्तानुसार रास्ता दिलाये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 2 लगायत 7 द्वारा आज दौराने केम्प स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र में वर्णित प्रार्थीगण की आराजीयात खसरा नम्बर 2375/3175, 2394 में आने जाने का रास्ता प्रार्थनापत्र में संलग्न नक्शे में मार्क A,B,C,D,E,F से दर्शित है को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने पर कोई आपत्ति या ऐतराज नही है। पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब सरकार/मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मौका रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है –

1. प्रार्थनापत्र में अंकित ग्राम/कस्बा सांकरिया के खसरा नम्बर 2394 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 2374 रकबा 0.97 हैक्टर प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है।
2. प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 2381, 3421/2381, 2382 की पश्चिमी मेड के सहारे तथा खसरा नम्बर 2383 के उत्तरी पूर्वी मेड के सहारे गुजरते हुए रास्ता काम मे ले रहे है।
3. प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी पर सांकरिया से खवास की ओर से जाने वाला रास्ता खसरा नम्बर 2105 गै.मु.सडक दर्ज है।
4. प्रार्थी के खेत पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 2105 गै.मु.सडक से खसरा नम्बर 2381, 3421/2381, 2382 की पश्चिमी मेड के सहारे तथा खसरा नम्बर 2383 के उत्तरी पूर्वी मेड के सहारे से होकर आवागमन सुविधाजनक एवं नजदीक रहेगा।
5. उपरोक्तानुसार वांछित रास्ते के अलावा मौका स्थिति अनुसार नजदीकी एवं सुविधाजनक अन्य रास्ता नही दिया जा सकता।
6. प्रार्थी को वर्तमान में अपने खेत पर आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
7. प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 2381 में से 54 x 6 = 324 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 3421/2381 में से 78 x 6 = 468 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 2382 में से 36 x 6 = 216 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 2383 में से 86 x 6 = 516 एवं 110 x 6 = 660 वर्गमीटर कुल 1176 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 2375/3175 में से 67 x 6 = 402 वर्गमीटर इस प्रकार रास्ते हेतु 2586 वर्गमीटर क्षेत्रफल बनता है, जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 149315/– प्रति हैक्टर के दोगुने से प्रतिकर राशि 77226/– रूपये बनते है।
8. खसरा नम्बर 2381 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से स्थगन है।
9. प्रस्तावित रास्ता का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार केकड़ी से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के तथ्यों का वर्णन करते हुए तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिये जाने में सहमति प्रदान की है साथ ही तहसीलदार केकड़ी द्वारा रिपोर्ट में प्रस्तावित अनुसार प्रार्थी संख्या 2 रामनिवास पुत्र भैरूलाल की आराजी खसरा नम्बर 2374 में जाने हेतु प्रार्थी संख्या 1 बद्रीलाल पुत्र छोगाराम की आराजी खसरा नम्बर 2375/3175 में से रास्ता दिये जाने में अनापत्ति जाहिर की है। प्रतिवादीगण द्वारा भी तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तावित रिपोर्ट अनुसार रास्ता दर्ज किये जाने में सहमति प्रदान की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया रास्ता ही उपर्युक्त प्रतीत होता है परन्तु तहसीलदार [illegible] की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 2381 पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन/प्रकरण विचाराधीन होने से इसमें से प्रस्तावित रास्ता को दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के आदेश नही दिये जा सकते है। लेकिन वर्तमान में प्रार्थीगण को आने जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही की जा रही है एवं भविष्य में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय/आदेश के अधीन रहेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तावित ग्राम/करबा सांकरया के खसरा नंबर 3421/2381 में से 78 x 6 = 468 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 2382 में से 36 x 6 = 216 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 2383 में से 86 x 6 = 516 एवं 110 x 6 = 660 वर्गमीटर कुल 1176 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 2375/3175 में से 67 x 6 = 402 वर्गमीटर, सर्वयोग 2262 वर्गमीटर हेतु नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित अनुसार सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते के कुल क्षेत्रफल 2262 हेतु वर्तमान डीएलसी दर 149315/– प्रति हैक्टर के दोगुने से प्रतिकर राशि 67551/– (सडसठ हजार पांच सौ इक्यावन) रूपये बनते है। अतः तहसीलदार केकड़ी द्वारा उक्त राशि प्रार्थीगण से वसूल कर राजकीय भूमि की राशि जमा राजकोष करवाई जावे एवं खातेदारी की आराजी की राशि संबंधित खातेदार को जर्ये सूचना पत्र जारी कर [illegible]वायी जावे। संबंधित खातेदार/पक्षकारान द्वारा राशि नही लिये जाने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर आदेशानुसार रास्ते को सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश पृथक से लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान एवं महंगाई राहत शिविर केम्प गुलगांव में मजमे आम में सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)